

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपुर

कालूशम व अन्य बनाम आनूपकाश व अन्य

2021/59
मुकदमा संख्या / वर्ष

प्र/०५३११३. 154 /2024

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<u>20/6/24</u>	<p>वाइल्ट आराजी ख०न० 574 से 585, 595 चाही, 595 जाव, 596, 597, 611 चाही, 611 जाव, 618, 619, 618, 618, 619, 620 चाही, 620 जाव, 621, 623 कुल किता 24 कुल रकबा 4.06 हे० व०के ग्राम आराकाण पटवार हल्का श्री रामकी नांगल तहसील सांगानेर जिला जयपुर में उभयपक्षकारानु को जरिये स्थायी निपेदात्रा से पावन्द किया जाता है कि वो विरासत नामान्तरण, हकत्याग को होडकर अन्य किसी भी प्रकार का राजस्व रिकार्ड में हस्तान्तरण नहीं करे। धनावली नम्बर से कम होका बाद तकभील साहित्य दफ्तर ही सुनायागया।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)</p>	

